राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(3)गृह–1/2023 जयपुर, दिनांक : 31 JAN 2024

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा की हायर सुपर टाईम स्केल की वर्ष 2023–24 की दिनांक 08.09.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा के विरूद्व कार्मिक विभाग के ज्ञापन क्रमांक प01(213)कार्मिक/क–3/जांच/2019 दिनांक 28.05.2020 के द्वारा अर्न्तगत नियम 17 सीसीए में आरोप पत्र जारी होने के कारण पदोन्नति की अभिशंषा को सील्ड कवर में रखा गया।

श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा को कार्मिक (क–3/जांच) विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2024 द्वारा उक्त विभागीय जांच में दोषमुक्त किया गया है। इस कारण राजस्थान पुलिस सेवा की हायर सुपर टाईम स्केल की वर्ष 2023–24 की दिनांक 08.09.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सील्ड कवर में किये गये श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा की अभिशंषा के बन्द लिफाफे को खोला गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा को राजस्थान पुलिस सेवा की हायर सुपर टाईम स्केल के पद पर वर्ष 2023–24 में दिनांक 01.04.2023 की रिक्ति के प्रति एतदद्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा की वरिष्ठता श्री केवलराम राय, (एससी) के नीचे एवं श्री राजेन्द्र कुमार (सामान्य) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, आरपीएस को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

हु०

(जगवीर सिंह)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयुपर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
T. No. 0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324

D:\JHALA2020\DPC 2022-23\Promotion Order